इसे वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 593] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24633-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१०

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०१०

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. प्रोद्धरण का संशोधन.

३. वृहत् नाम का स्थापन.

४. धारा १ का संशोधन.

५. धारा २ का संशोधन.

६. धारा ३ का संशोधन.

७. पांचवां अध्याय के शीर्षक का संशोधन.

८. छठवां अध्याय के शीर्षक का स्थापन.

९. धारा ३१ का संशोधन.

१०. धारा ३२ का संशोधन.

११. धारा ३३-क का अंत:स्थापन.

१२. धारा ३४-क का संशोधन.

१३. धारा ३५ का संशोधन.

१४. धारा ३७ का संशोधन.

१५. धारा ४४ का संशोधन.

१६. धारा ६१-क का अंत:स्थापन.

१७. धारा ६२ का संशोधन.

१८. धारा ७६ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१०

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) अधिनियम, २०१० है. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धरण में, शब्द "गृह-निर्माण" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास" स्थापित किए जाएं. **प्रोद्धरण का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम के वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:— **वृहत् नाम का स्थापन.**

"आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह-निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल के निगमन तथा विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.".

४. मूल अधिनियम की धारा १ में, उपधारा (१) में, शब्द "गृह-निर्माण" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास" स्थापित किए जाएं. **धारा १ का संशोधन.**

५. मूल अधिनियम की धारा २ में,— **धारा २ का संशोधन.**

(एक) खण्ड (३) में, शब्द "गृह-निर्माण मण्डल" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (७-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(७-क) "अधोसंरचना विकास स्कीमों" में सम्मिलित हैं सड़कों का निर्माण, पुल, मलवहन प्रणाली, हवाई अड्डे, नगर स्तर की जल प्रदाय और अन्य अधोसंरचना विकास स्कीमें;".

६. मूल अधिनियम की धारा ३ के पार्श्व शीर्ष और पाठ में, शब्द "गृह-निर्माण मण्डल" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल" स्थापित किए जाएं. **धारा ३ का संशोधन.**

७. मूल अधिनियम के पांचवां अध्याय के शीर्षक में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं. **पांचवां अध्याय के शीर्षक का संशोधन.**

८. मूल अधिनियम के छठवां अध्याय के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:— **छठवां अध्याय के शीर्षक का स्थापन.**

"गृह-निर्माण स्कीमों तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों".

धारा ३१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा/या अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३२ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३२ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''गृह-निर्माण स्कीमों तथा/या अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३३-क का अंत:स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विषय जिनके लिए अधोसंरचना विकास स्कीम द्वारा उपबंध किया जाएगा.

''३३-क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधोसंरचना विकास स्कीम में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य के भीतर अधोसंरचना विकास के लिए अपेक्षित स्कीमें और परियोजना तैयार करना, निश्चित करना एवं कार्यान्वित करना;

(ख) अधोसंरचना स्कीम तथा मास्टर प्लान एवं नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना;

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित स्थानीय निकायों, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ३ सन् १९७३) के अधीन गठित नगर विकास प्राधिकरणों तथा ऐसे ही अन्य संगठनों को उनकी तकनीकी तथा आंतरिक क्षमताओं तथा उनके वित्तीय संसाधनों में सुधार के लिए सहायता तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना;

(घ) पुलों, सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, नगर स्तर की जल प्रदाय तथा मलवहन प्रणाली का निर्माण या अधोसंरचना विकास के अन्य क्रियाकलाप जो कि धारा ३४-क के अधीन मण्डल द्वारा विनिश्चित किए जाएं.''.

धारा ३४-क का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ३४-क में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''अधोसंरचना विकास स्कीमें'';

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) मण्डल की, जब कभी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर या उसके स्वाविवेक पर यह राय हो, कि किसी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास स्कीम आरंभ करना समीचीन है तो मण्डल एक विकास स्कीम विरचित कर सकेगा.'';

(तीन) उपधारा (४) में, शब्द ''विकास स्कीम'' के स्थान पर, शब्द ''अधोसंरचना विकास स्कीम'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, शब्द ''विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३७ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, प्रथम परंतुक में शब्द ''विकास स्कीमों'' के स्थान पर, शब्द ''अधोसंरचना विकास स्कीमों'' स्थापित किए जाएं.

१५. मूल अधिनियम की धारा ४४ के पार्श्व शीर्ष तथा पाठ में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों एवं अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं. **धारा ४४ का संशोधन.**

१६. मूल अधिनियम की धारा ६१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा ६१-क का अंत:स्थापन.**

"६१-क (१) मण्डल, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, अभिदायों या साम्या अभिदायों, जो अपने अधिशेष, अनुसूचित बैंकों, शासकीय वित्तीय संस्थाओं या राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌रूप से अनुमोदित किन्हीं अन्य संगठनों द्वारा किए गए अभिदायों से, एक अधोसंरचना विकास निधि सृजित कर सकेगा. **अधोसंरचना विकास निधि.**

(२) अधोसंरचना विकास निधि का उपयोग सम्भाव्यता का पूर्व अध्ययन, सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना विकास रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना का वित्त पोषण करने, परियोजना कार्यान्वित करने और किसी अन्य अधोसंरचना विकास क्रियाकलाप के लिए जो कि मण्डल द्वारा अवधारित किया जाए, किया जा सकेगा.

(३) अधोसंरचना विकास निधि के उचित उपयोग के लिए मण्डल, कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास के अधीन विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल परपज व्हीकल) बना सकेगा. अधोसंरचना विकास निधि मण्डल के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जिसके लिए मण्डल विनियम विरचित करेगा.".

१७. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उपधारा (३) में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीम" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं. **धारा ६२ का संशोधन.**

१८. मूल अधिनियम की धारा ७६ में, शब्द "गृह-निर्माण स्कीमों" के स्थान पर, शब्द "गृह-निर्माण तथा अधोसंरचना विकास स्कीमों" स्थापित किए जाएं. **धारा ७६ का संशोधन.**

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

राज्य आवास एवं पर्यावास नीति, २००७, अधोसंरचना विकास बोर्ड के गठन द्वारा राज्य में अधोसंरचना विकास स्कीम को क्रियान्वित करने की अनुशंसा करती है. अतएव, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल को, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के रूप में पुनर्गठित करने का विनिश्चय किया गया है. मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल को अधोसंरचना विकास स्कीम का दायित्व लेने के लिए सशक्त करने हेतु इसके क्रियाकलापों के क्षेत्र का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया गया है. इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर अधोसंरचना परियोजनाओं पर विचार करने, उनकी परिकल्पना करने, उन्हें कार्यान्वित करने, निष्पादित करने, उन्हें चलाने तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए मण्डल को सशक्त किया जाएगा. इस उद्‌देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १२ नवम्बर, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, २०१० के फलस्वरूप जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-११ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मण्डल राज्य के भीतर अधोसंरचना विकास के लिए अपेक्षित स्कीमें और परियोजना तैयार कर कार्यान्वित करना, मास्टर प्लान एवं नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना एवं नगर विकास प्राधिकरणों तथा ऐसे ही अन्य संगठनों को उनकी तकनीकी तथा आंतरिक क्षमताओं तथा उसके वित्तीय संसाधनों में सुधार के लिये सहायता तथा परामर्श सेवायें उपलब्ध कराये जाने,

खण्ड १२ किसी क्षेत्र में अधोसंरचना विकास स्कीम आरंभ करना समीचीन है तो मण्डल द्वारा एक विकास स्कीम विरचित किये जाने,

खण्ड १६ (१) मण्डल, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये, अधोसंरचना विकास निधि सृजित करने,

(२) अधोसंरचना विकास निधि का उपयोग सम्भाव्यता का पूर्व अध्ययन, सम्भाव्यता संबंधी अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तैयार करने, परियोजना का वित्त पोषण एवं कार्यान्वित करने, तथा

(३) अधोसंरचना विकास निधि के उचित उपयोग के लिये मण्डल, विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल परपज व्हीकल) बनाये जाने, अधोसंरचना विकास निधि मण्डल के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन विनियम विरचित किये जाने,

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605]　　　　भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 7026-379-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 26 of 2010.

THE MADHYA PRADESH GRIHA NIRMAN MANDAL (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010.

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of citation.
3. Substitution of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 3.
7. Amendment of heading of Chapter V.
8. Substitution of heading of Chapter VI.
9. Amendment of Section 31.
10. Amendment of Section 32.
11. Insertion of Section 33-A.
12. Amendment of Section 34-A.
13. Amendment of Section 35.
14. Amendment of Section 37.
15. Amendment of Section 44.
16. Insertion of Section 61-A.
17. Amendment of Section 62.
18. Amendment of Section 76.

MADHYA PRADESH BILL
No. 26 of 2010.

THE MADHYA PRADESH GRIHA NIRMAN MANDAL (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the **Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal (Sanshodhan)** Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of citation.

2. In the citation of the Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Griha Nirman", the words "Griha Nirman Evam Adhosanrachna Vikas" shall be substituted.

Substitution of long title.

3. For the long title of the principal Act, the following long title shall be substituted, namely :—

"An act to provide for the incorporation and regulation of a Housing and Infrastructure Development Board in the State of Madhya Pradesh for the purpose of taking measures to deal with and satisfying the need of housing accommodation and to undertake infrastructure development and for matters connected therewith.".

Amendment of Section 1.

4. In Section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Griha Nirman", the words "Griha Nirman Evam Adhosanrachana Vikas" shall be substituted.

Amendment of Section 2.

5. In Section 2 of the principal Act,—

(i) in clause (3), for the words "Housing Board", the words "Housing and Infrastructure Development Board" shall be substituted;

(ii) for clause (7-a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(7-a) "Infrastructure Development Schemes" includes schemes of construction of roads, bridges, sewage systems, airports, city level water supply and other infrastructure development schemes;".

Amendment of Section 3.

6. In the marginal heading and text of Section 3 of the principal Act, for the words "Housing Board", the words "Housing and Infrastructure Development Board" shall be Substituted.

Amendment of heading of Chapter V.

7. In the heading of Chapter V of the principal Act, for the words "Housing Schemes", the words "Housing and Infrastructure Development Schemes" shall be substituted.

Substitution of heading of Chapter VI.

8. For the heading of Chapter VI of the principal Act, the following heading shall be substituted, namely:—

"Housing Schemes and Infrastructure Development Schemes".

9. In the marginal heading and text of Section 31 of the Principal Act, for the words " Housing Schemes and Development Schemes", the words " Housing Schemes and/or Infrastructure Development Schemes" shall be substituted. **Amendment of Section 31.**

10. In the marginal heading and text of Section 32 of the Principal Act, for the words " Housing Schemes and Development Schemes", the words " Housing Schemes and/or Infrastructure Development Schemes" shall be substituted. **Amendment of Section 32.**

11. After Section 33 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :— **Insertion of Section 33-A.**

" 33-A. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an infrastructure development scheme any provide for all or any of the following matters, namely :— **Matters to be provided for by Infrastructure Development Scheme.**

(a) to prepare, formulate and implement schemes and project as required for the infrastructure development within the State;

(b) to provide technical and other assistance for infrastructure schemes and to implement master plan and city development plans;

(c) to provide assistance and consultancy services to local bodies constituted under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), urban development authorities constituted under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 3 of 1973) and such other organizations for inproving their technical and internal capacity and their financial resources;

(d) to construct bridges, roads, highways, airports, city level-water Supplies and sewage systems or other infrastructure development activities as decided by the Board under section 34-A.".

12. In Section 34-A of the Princiapal Act,— **Amendment of Section 34-A.**

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

" Infrastructure Development Schemes.";

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

" (1) Whenever the Board is of the opinion, on the basis of request by the State Government or request by local body or development authority or on its on motion, that it is expedient to take up infrastructure development scheme in any area, the Board may frame a Development Scheme.".

(iii) in sub-section (4), for the words " development scheme", the words " infrastructure development scheme" shall be substituted.

13. In Section 35 of the Principal Act, in sub-section (2), in clause (a), for the words " development schemes", the words " infrastructure development schemes" shall be substituted. **Amendment of Section 35.**

Amendment of Section 37.

14. In Section 37 of the Principal Act, in the first proviso, for the words " development schemes" the words " Infrastructure development schemes " shall be substituted.

Amendment of Section 44.

15. In the marginal heading and text of Section 44 of the Principal Act, for the words " housing schemes" wherever they occur, the words " housing schemes and infrastructure development schemes" shall be substituted.

Insertion of Section 61-A.

16. After Section 61 of the Principal Act, the following section shall be inserted namely :—

Infrastructure Development Fund.

" 61-A (1) The board may, to carry out its functions create an Infrastructure Development Fund from contributions or equity contributions by the Board from its surpluses, scheduled banks, Government financial institutions or any other organisations duly approved by the State Government.

(2) The Infrastructure Development Fund may be utilised to conduct pre-feasibility studies, feasibility studies, preparation of detailed project reports, project development report, project financing, project execution and any other related infrastructure development activity as may be determined by the Board.

(3) For proper utilisation of Infrastructure Development Fund the Board may create a special purpose vehicle under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882). The Infrastructure Development Fund shall be under the control and supervision of the Board, for which the Board shall frame regulations.".

Amendment of Section 62.

17. In Section 62 of the Principal Act, in sub-section (3), for the words ''housing scheme", the words " housing and infrastructure development schemes" shall be substituted.

Amendment of Section 76.

18. In Section 76 of the Principal Act, for the words " housing schemes", the words " housing and infrastructure development schemes" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Housing and Habitat Policy, 2007 recommends implementation of the infrastructural development schemes in the State by constituting the Infrastructure Development Board. Therefore, it is decided to reconstitute the Madhya Pradesh Housing Board as the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board. It is also proposed to enlarge the scope of activities of the Madhya Pradesh Housing Board to enable it to undertake Infrastructure Development Schemes. For this particular purpose the Boarde shall be empowered to conceptualise, design, implement, execute, operate and maintain infrastructure projects within the State. In order to achieve this objective, suitable amendments are proposed in the Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973).

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 12th November, 2010.

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.